



कार्यालय संचालक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी  
(राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)  
एयरपोर्ट बायपास रोड गांधी नगर के पास, भोपाल-462033

संस्था स्तर की काउंसिलिंग दिनांक 13/08/2017 एवं 14/08/2017  
रिक्तियों की जानकारी एवं सामान्य निर्देश

संस्था स्तर की काउंसिलिंग हेतु रिक्तियों की संख्या  
(12/08/2017 के सायं 5.15 बजे की स्थिति में)

बी.ई. प्रथम वर्ष काउंसिलिंग तिथि 13/08/2017 (सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में  
14/08/2017)

क्र.	ब्रांच का नाम	रिक्तियां
1	Automobile Engineering	10
2	Computer Science and Engineering	04
3	Electronics and Communication Engineering	03
4	Electrical & Electronics Engineering	01
5	Information Technology	01
6	Petrochemical	09

बी.ई. द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री काउंसिलिंग तिथि 13/08/2017 (सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में  
14/08/2017)

क्र.	ब्रांच का नाम	रिक्तियां
1	Automobile Engineering	06
2	Computer Science and Engineering	02
5	Information Technology	01
6	Petrochemical	18

एम.सी.ए. प्रथम वर्ष काउंसिलिंग तिथि 13/08/2017 (सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में  
14/08/2017)

क्र.	ब्रांच का नाम	रिक्तियां
1	Master of Computer Application (MCA)	42

एम.सी.ए.द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री काउंसिलिंग तिथि 13/08/2017 (सीटें रिक्त रह जाने की  
स्थिति में 14/08/2017)

क्र.	ब्रांच का नाम	रिक्तियां
1	Master of Computer Application (MCA) Lateral	34

## संस्था स्तर की काउंसिलिंग दिनांक 13/08/2017 एवं 14/08/2017 हेतु दिशा निर्देश

- उपरोक्त रिक्तियां प्रवेशित छात्रों के प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में बढ़ सकती है, जिसकी जानकारी वेबसाइट [www.dte.mponline.gov.in](http://www.dte.mponline.gov.in) एवं [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) पर उपलब्ध रहेगी।
- यह काउंसिलिंग संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा इस हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप आयोजित की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थियों को वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) एवं [www.dte.mponline.gov.in](http://www.dte.mponline.gov.in) पर दिये निर्देशानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक-पृथक रूप से एम.पी.ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात दिनांक 13/08/2017 को संस्था स्तर की काउंसिलिंग हेतु इस संस्था (UIT-RGPV) के मुख्य भवन के प्रथम तल में स्थित कांन्फ्रेंस हाल में प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे के मध्य उपस्थिति दर्ज करवाना होगा।
- रिक्तियों की संख्या काउंसिलिंग के समय पूर्व में प्रवेशित छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में बढ़ भी सकती है। केवल उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जावेगा जो कि उपरोक्तानुसार ससमय (दिनांक 13.08.2017 को दोपहर 1.30 बजे तक) अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। तत्पश्चात अगर कोई अन्य सीट रिक्त होती है तो उसे, जैसे ही वह रिक्त होती है, काउंसिलिंग में शामिल कर लिया जावेगा।
- काउंसिलिंग हेतु दिनांक 13/8/2017 को प्रातः 10.30 से अपरान्ह 1.30 बजे के मध्य संस्था के मुख्य भवन के प्रथम तल में स्थित कांन्फ्रेंस हाल में समस्त मूल प्रमाण-पत्र यथा: संस्था स्तर की काउंसिलिंग की पंजीयन की पावती, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (आईआईटी-जेईई मेन्स), डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंकसूची (बी.ई. लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम के लिये), स्नातक स्तर की अंकसूची, (एम.सी.ए./एम.सी.ए.लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु) मूल निवासी प्रमाण पत्र/अभिभावक का घोषणा पत्र, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की प्रति, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र/ अभिभावक का घोषणा पत्र (यदि लागू हो तो) एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों की तीन छायाप्रतियां एवं चार फोटोग्राफ के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश होने की स्थिति में शिक्षण शुल्क अग्रिम के रूप में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को रु.10,000/- एवं मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (यथा SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर)) के अभ्यर्थियों को रु. 4,100/- प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा, शुल्क की बकाया राशि प्रवेश उपरांत एक सप्ताह के अंतराल में जमा करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने साथ डेबिट/एटीएम कार्ड लायें ताकि पाश मशीन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा की जा सके।
- यदि 13/08/2017 की काउंसिलिंग के पश्चात कोई सीट रिक्त हो जाती है तो दिनांक 14/08/2017 को भी काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। जिसके लिये उपरोक्तानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी एवं उपस्थिति दिनांक 14/8/2017 को प्रातः 10.30 से अपरान्ह

1.30 बजे के मध्य संस्था के मुख्य भवन के प्रथम तल में स्थित कांन्फ्रेंस हाल मे दर्ज करानी होगी ।

7. उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। बगैर मूल प्रमाण पत्रों एवं अभ्यार्थी के बिना काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रवेश निरस्ती के संबंध में जारी किये गये नियमों के अनुसार यदि कोई अभ्यार्थी अपना प्रवेश 07 अगस्त 2017 के पश्चात निरस्त करवाता है तो उसके द्वारा जमा की गई शुल्क (काशनमनी को छोडकर) वापसी योग्य नही होगी ।